



Neutral Citation No. - 2026:AH:48152

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3257 वर्ष 2026

सैयद फैसल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: शैलेन्द्र कुमार शर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की अभ्यावेदन यह है कि उसे कंप्यूटर सहायक/संचालक के पद पर संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था तथा उसने दिनांक 16.02.2006 को पद ग्रहण किया था। यद्यपि याचिकाकर्ता का कथन है कि वह उक्त पद पर कार्यरत रहा है, तथापि उसे सितंबर 2022 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को सितंबर 2022 से मानदेय का भुगतान करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निराकरण प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. पक्षकारों की बहस को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष एक समग्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसके साथ याचिका की स्वप्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न हो। प्रत्यर्थी संख्या 4 उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का परीक्षण एवं निर्णय करेगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 4 के मत में अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता का दावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाना है, तो संबंधित पत्रावली को उचित सूचना देते हुए उस प्राधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।